न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2857–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–7–2013 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, निवाडी, जिला टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 46/अ–12/11–12.

.....

1 लल्लू तनय श्री गनेश अहिरवार
2 मकुंदी तनय श्री गनेश अहिरवार
निवासीगण असाटी, तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 सदानंद तनय श्री बैजनाथ घोष
2 अजीत तनय श्री बैजनाथ घोष
निवासीगण ग्राम टीला, तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 खरे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/9/15 को पारित)

यह निगरानी (प्रकरण कमांक 2857–तीन/13) राजस्व मण्डल के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, निवाडी, जिला टीकमगढ़ द्वारा उनके प्रकरण कमांक

46/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 1–7–13 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । गैर निगराकार सतानंद द्वारा उनकी भूमि खसरा नंबर 106/5/2 रकबा 0.789 हैक्टेयर के सीमाकंन हेतु आवेदन दिनांक 10–6–13 नक्शे ट्रेस सहित दिया गया था । राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 1–7–13 से इस भूमि का सीमाकंन दिनांक 29–6–13 स्वीकृत किया गया । निगराकारों द्वारा दिनांक 1–7–13 को दोपहर 2 बजे इस संबंध में अपनी आपत्ति तहसीलदार, निवाड़ी को दी गई । संभवतः इसके पूर्व 1–7–13 को आदेश पारित हो चुका था । इस सबके अतिरिक्त निगराकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी के समक्ष एक आपत्ति आवेदन दिनांक 13–9–12 को दिया गया था । इसके संलग्न विभिन्न नक्शों की प्रतियां भी अनुविभागीय अधिकारी को दी गईं थीं । इस आवेदन पर अंततः क्या हुआ, यह प्रकरण में स्पष्ट नहीं है । यह आपत्ति आवेदन एवं उसके संलग्नकों की प्रति इस प्रकरण के रिकार्ड में उपलब्ध है ।

3/ मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया एवं विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गए । इन सबकों इस आदेश में विचार में लिया जा रहा है।

4/ निगराकारों द्वारा अपने निगरानी मेमों एवं तर्कों में निम्न प्रमुख बिन्दु उठाए गए है :–

1) सीमाकंन की पूर्व सूचना उन्हें विधिवत नहीं दी गई, एवं मौके पर भी वे उपस्थित नहीं थे । इस सीमाकंन के फलस्वरूप उनकी सर्वे नंबर 106/6 की भूमि गैर–निगराकारों के खसरे में दबा दी गई है । इन कारणों से यह सीमाकंन अवैध एवं निरस्ती योग्य है ।
2) निगराकारों के खाते के सर्वे नंबर 106/6 का नक्शा तरमीम इस सीमाकंन के पूर्व नहीं किया गया, और उनकी जमीन का रकबा गैर

निगराकारों के पक्ष में दिया गया । सीमाकंन के पूर्व नक्शा तरमीम नहीं किये जाने के कारण भी सीमाकंन अवैध एवं निरस्ती योग्य है ।

5/ गैर निगराकार पक्ष द्वारा निम्न प्रमुख बिन्दु उठाए गए :–

1) उनके खसरा नंबर 106/5/2 का नक्शा ट्रेस अभिलेख में उपलब्ध है। यह दिखाता है कि तरमीम हो चुकी है ।

2) निगराकारों को सीमांकन की सूचना थी । वे जानबूझ कर या तो उपस्थित नहीं हुए या हस्ताक्षर नहीं किए ।

3) निगराकारों को यदि अपनी भूमि सर्वे नंबर 106/6 का तरमीम एवं सीमाकंन कराना हो, तो वे उसके लिये पृथक से कार्यवाही कर सकते हैं । उनके द्वारा गैर निगराकार के सीमाकंन में बाधा डाला जाना उपयुक्त नहीं है ।

6/ प्रस्तुत तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन एवं उन पर विचार उपरान्त मेरे समक्ष निम्न प्रमुख तथ्य प्रकट होते है :–

1 खसरा नंबर 106/5/2 पर गैर निगराकारों के नाम एवं खसरा नंबर 106/6 पर निगराकारों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं, जिनकी प्रतियां प्रकरण में उपलब्ध हैं ।

2 निगराकारों द्वारा एसडीओ के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति आवेदन दिनांक 13–9–12 के संलग्न नक्शों की प्रतियों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सर्वे नंबर 106 बंदोबस्त के पूर्व एक बड़ा सर्वे नंबर था, जिसके विभिन्न टुकड़े बाद में हुए। इसके टुकड़ों में 106/1, 106/2, 106/4, 106/5/1, 106/5/2 तो दिखाई देते हैं । किन्तु कुछ बंटाक, जैसे 106/3 एवं 106/6 दिखाई नहीं देते ।

3 निगराकारों द्वारा, प्रथम दृष्टया, जानबूझकर सीमाकंन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया ।

7/ उपरोक्त बिन्दु 1 एवं 2 के प्रकाश में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि सर्वे नंबर 106 के बंटाक, बंदोबस्त के दौरान एवं उसके उपरान्त, सभी हितबद्ध पक्षकारों के खसरे रिकार्डों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए । पुराने नक्शों को सही से, एवं सही समय पर पुननिर्मित करने की कार्यवाही भी विधिवत नहीं की गई । सर्वे नंबर 106 के जिस बंटाक के खातेधारी ने जब आवेदन किया, संभवतः तभी उसके बटांक की नक्शे पर तरमीम करके उसकी भूमि उसको बता दी गई । यह उचित नहीं है । इससे सभी हितबद्ध पक्षकारों/भू–धारकों को वह भूमि सही प्रकार से नहीं मिल पाई जो उन्हें खसरे अभिलेखों के अनुसार मिलनी चाहिए थी । निगराकारों के हित भी इसी प्रकिया के चलते प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण वे संभवतः सीमाकंन प्रकिया में भागीदार नहीं बने तथा इस निगरानी में आएं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मेरे द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है कि मूल सर्वे नंबर 106, ग्राम असाटी जंगल, तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ की समस्त भूमि के बंटाकन को एक बार पुनः देखा जाए, एवं बटा नम्बरों के वैध खातेदारों के नाम से ही सही–सही भूमियों के बटांक-सर्वे नम्बर एवं उनके रकबे स्पष्टतः लिखते हुए, खसरा अभिलेखों को अंतिम स्वरूप दिया जाए । आवश्यकता हो तो इस हेतु सर्वे नंबर 106 पर भू–धारण के इतिहास को भी संक्षिप्त में रिकार्ड पर ले लिया जाए । ये कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त समस्त बटांकों की सीमाएं पहले नक्शा तरमीम करके स्पष्ट की जाएं । तदुपरान्त समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना एवं अवसर देते हुए नए सिरे से मौके पर पक्षकारों की मांग के अनुसार सीमाकंन की कार्यवाही संपादित की जाए ताकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार एवं सरहदी कृषक के वैधानिक अधिकार अनुचित तरीके से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हों । प्रकरण इन निर्देशों के साथ कलेक्टर, टीकमगढ़ को समस्त कार्यवाही

विधिवत् सम्पन्न कराने के लिए प्रत्यावर्तित किया जाता है, एवं समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा0 दर्ज हो । अभिलेख लौटाए जाएं ।

7/ प्रकरण समाप्त किया जाता है । दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर